रजिस्टर्ड नं०-यू०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76| प्रयागराज, शनिवार, 26 मार्च, 2022 ई० (चैत्र 5, 1944 शक संवत्) |संख्या 13

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग.अलग खण्ड बन सकें।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–निमुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	331–368	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	187–193	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का संक्षरण	–	975
भाग 3–स्थायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	115–119	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-2

कार्यालय-ज्ञाप

31 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 1222डीजी/छ:पु0से0-2-21-522(87)/2021टीसी–राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) में सेलेक्ट लिस्ट 2013 के आधार पर चयनित अधिकारियों की ज्येष्ठता मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्ड पीठ लखनऊ में योजित रिट याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अधीन गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अपने आदेश संख्या I-15016/24/2021–आईपीएस-I (पार्ट-II), दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से वर्ष 2008 के स्थान पर वर्ष 2007 बैच निर्धारित की गयी।

2–गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के उक्त आदेश दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सेलेक्ट लिस्ट 2013 के आधार पर चयनित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-4/5 में अंकित तिथि से सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13, रु0 1,23,100-2,15,900) एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13ए, रु0 1,31,100-2,16,600) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	बैच	सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य किये जाने की तिथि	पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति की तिथि
1	2	3	4	
	सर्वश्री/श्रीमती–			
1	भारती सिंह	2007	01-01-2020	01-01-2021
2	विपिन कुमार मिश्रा	2007	01-01-2020	01-01-2021
3	माधव प्रसाद वर्मा (से0नि0 30-06-2021)	2007	01-01-2020	01-01-2021
4	सभाराज	2007	01-01-2020	01-01-2021
5	स्वामी प्रसाद	2007	01-01-2020	01-01-2021
6	सौमित्र यादव	2007	01-01-2020	01-01-2021
7	रमेश	2007	01-01-2020	01-01-2021

नोट–भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा उपरोक्तानुसार आवंटन वर्ष निर्धारित करते हुये यह भी निर्देश दिये गये हैं कि जो अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्हें काल्पनिक लाभ ही प्रदान किया जायेगा। "the officers retired on superannuation the benefits may be re-fixed notionally"

पदोन्नति

सं० 1630/छ:पु०से०-2-21-522(95)/2021—भारतीय पुलिस सेवा (उ०प्र० संवर्ग) निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में अंकित तिथि या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से पुलिस महानिदेशक के पद पर (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-16, रु० 2,05,400-2,24,400) पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र०	अधिकारी का नाम/बैच	पदोन्नति की तिथि
1	2	3
1	श्री अविनाश चन्द्र, आर आर-1990	01-01-2022
2	डॉ० संजय एम० तरड़े, आर आर-1990	01-08-2022

2—श्री राज्यपाल यह भी स्वीकृति प्रदान करते हैं कि चयन वर्ष 2022 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी यदि प्रतिनियुक्ति से कार्यमुक्त होकर उ०प्र० संवर्ग में योगदान देंगे तो ऐसी स्थिति में उक्त तालिका में अंकित अधिकारियों की पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि में परिवर्तन हो जायेगा।

3—उपर्युक्त अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

सं० 1631/छ:पु०से०-2-21-522(96)/2021—भारतीय पुलिस सेवा (उ०प्र० संवर्ग) निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में अंकित तिथि या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-15, रु० 1,82,200-2,24,100) पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र०	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तिथि
1	2	3
	सर्वश्री—	
1	नवीन अरोरा, आर आर-1997	01-01-2022
2	मोहित अग्रवाल, आर आर-1997	01-01-2022
3	डा० गजेन्द्र कुमार गोस्वामी, आर आर-1997	01-01-2022
4	भजनी राम मीना, आर आर-1997	01-01-2022

3—उपर्युक्त अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

सं० 1632/छ:पु०से०-2-21-522(93)/2021—भारतीय पुलिस सेवा (उ०प्र० संवर्ग) के निम्नांकित अधिकारियों को पुलिस महानिरीक्षक के पद पर (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-14, रु० 1,44,200-2,18,200) दिनांक 01 जनवरी, 2022 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र०	अधिकारी का नाम	बैच
1	2	3
	सर्वश्री—	
1	डा० प्रीतिन्दर सिंह	आईपीएस-आरआर-2004
2	लव कुमार	आईपीएस-आरआर-2004
3	चन्द्र प्रकाश-II	आईपीएस-आरआर-2004

3—उपर्युक्त अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

सं० 1633/छ:पु०से०-2-21-522(94)/2021—भारतीय पुलिस सेवा (उ०प्र० संवर्ग) के निम्नांकित अधिकारियों को पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद पर (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13ए, रु० 1,31,100-2,16,600) दिनांक 01 जनवरी, 2022 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र०	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष
1	2	3
	सर्वश्री—	
1	सुरेश राव आनन्द कुलकर्णी	आईपीएस-आरआर-2008
2	अमित वर्मा	आईपीएस-आरआर-2008
3	एन० कोलान्ची	आईपीएस-आरआर-2008
4	सर्वेश कुमार राना	आईपीएस-एसपीएस-2008
5	श्रीपति मिश्र	आईपीएस-एसपीएस-2008
6	अजय कुमार सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2008
7	जुगुल किशोर	आईपीएस-एसपीएस-2008
8	विनोद कुमार मिश्रा	आईपीएस-एसपीएस-2008
9	बालेन्दु भूषण सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2008
10	देवेन्द्र प्रताप नारायन पाण्डेय	आईपीएस-एसपीएस-2008
11	सुधीर कुमार सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2008
12	डा० अरविन्द भूषण पाण्डेय	आईपीएस-एसपीएस-2008
13	राजीव मल्होत्रा	आईपीएस-एसपीएस-2008

3—उपर्युक्त अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

सं० 1634/छ:पु०से०-2-21-522(97)/2021—भारतीय पुलिस सेवा (उ०प्र० संवर्ग) के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा का सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13, रु० 1,23,100-2,15,900) अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र०	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य किये जाने की तिथि
1	2	3	4
	सर्वश्री—		
1	केशव कुमार चौधरी	आईपीएस-आरआर-2009	01-01-2022
2	अजय कुमार साहनी	आईपीएस-आरआर-2009	01-01-2022
3	पवन कुमार	आईपीएस-आरआर-2009	01-01-2022
4	अनीस अहमद अन्सारी	आईपीएस-आरआर-2009	01-01-2022

1	2	3	4
	सर्वश्री--		
5	अखिलेश कुमार चौरसिया	आईपीएस-आरआर-2009	01-01-2022
6	शिवासिम्पी चन्नप्पा	आईपीएस-आरआर-2009	01-01-2022
7	दिनेश कुमार पी0	आईपीएस-आरआर-2009	01-01-2022
8	मुनिराज जी0	आईपीएस-आरआर-2009	01-01-2022
9	बबलू कुमार	आईपीएस-आरआर-2009	01-01-2022
10	सन्तोष कुमार सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2009	01-01-2022

01 जनवरी, 2022 ई०

सं० 1640/छ:पु0से0-2-21-522(93)/2021--डॉ० के० एजिलरसन, आईपीएस--आरआर--2004 (उ0प्र0 संवर्ग), जो अन्तर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर तमिलनाडु राज्य में तैनात हैं, को पुलिस महानिरीक्षक के पद पर (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-14 रु0 1,44,200-2,18,200) दिनांक 01 जनवरी, 2022 से प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति

31 दिसम्बर, 2021 ई०

सं० 1235/81-1-2021-09/2011--कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक नि0व0सां0-29/10-2-6(एस0ओ0) दिनांक 07 सितम्बर, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, सांख्यिकीय अधिकारी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 से सेवानिवृत्त माने जायेंगे।

आज्ञा से,
रवि शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव।

महिला एवं बाल विकास विभाग

अनुभाग-1

अधिसूचना

24 दिसम्बर, 2021 ई०

सं० 1496(1)/80-1-21-1/13(69)/04--किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके और उ0प्र0 किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण)

नियम, 2019 के नियम 87 के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति पर श्री राज्यपाल के आदेशों से अधिसूचना संख्या 879/60-1-21-1/13(69)/04, दिनांक 23 जुलाई, 2021 द्वारा विभिन्न जनपदों में बाल कल्याण समिति का गठन करते हुये अध्यक्ष/सदस्य को नियुक्त किया गया है। उक्त गठित समिति में कतिपय जनपदों हेतु चरित्र सत्यापन आख्या/मा० चयन समिति की स्पष्ट संस्तुति तत्समय नहीं प्राप्त हुई थी, जो अब प्राप्त हो गयी है। अतः उक्त के परिणाम स्वरूप सूची में उल्लिखित व्यक्तियों को श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सदस्य नियुक्त करते हैं–

अनुसूची

कौशाम्बी

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद
1	2	3	4	5
1	विन्देश्वरी प्रसाद	झगडू लाल	ग्राम सेलरहा पूरब, पोस्ट-सेलरहा, ब्लाक सिराथू, जनपद-कौशाम्बी, 212217	सदस्य
2	कृष्णादत्त द्विवेदी	स्व० श्याम किशोर द्विवेदी	नियर-डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, साईधाम, मंझनपुर, कौशाम्बी, 212207	सदस्य

हापुड़

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद
1	2	3	4	5
1	इन्दु गोस्वामी	बाबू राम गिरी	884, नई शिवपुरी, हापुड़ (पंचशील नगर), 245101	सदस्य

उन्नाव

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद
1	2	3	4	5
1	मीनू मिश्रा	राम प्रकाश बाजपेई	08 दरोगाबाग, उन्नाव, 229801	सदस्य

श्रावस्ती

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद
1	2	3	4	5
1	अम्बिका प्रसाद प्रजापति	राम लाल	कटरा, श्रावस्ती, 271805	सदस्य

आज्ञा से,
अनीता सी० मेश्राम,
प्रमुख सचिव।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति/तैनाती

10 दिसम्बर, 2021 ई०

सं० 4428/96-आयुष-1-2021-231/2015टी०सी०—लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज पत्र संख्या 63/02/डी०आर०/एस-11/2016-17टी०सी०-3, दिनांक 09 जुलाई, 2021, द्वारा प्रदेश के राजकीय यूनानी महाविद्यालयों में प्रवक्ता निस्वां व कबालत के पद पर सीधी भर्ती के चयन की संस्तुति के आधार पर डा० मरियम शेकईया पुत्री मोहम्मद अनवारुर्रहमान, निवासिनी म०नं०-284, सिंह कटरा लेन, रायगंज रोड, अलहदादपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षक यूनानी के पद पर मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ में प्रवक्ता निस्वां व कबालत के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय तकमील उत्तिमब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(9) उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथा संशोधित 2008 में उक्त यूनानी चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
सुखलाल भारती,
विशेष सचिव।

20 दिसम्बर, 2020 ई०

सं० 4102/86-आयुष-1-2021-66/2011-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डी0आर0/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डी0आर0/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डी0आर0/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डी0आर0/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डी0आर0/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020, पत्र संख्या 170/01/डी0आर0/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 एवं पत्र संख्या 184(1)/डी0आर0/एस-11/2016-17, दिनांक 23 जुलाई, 2021 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-264 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000343882) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री जितेन्द्र मणि त्रिपाठी, पुत्र श्री राम नारायण मणि त्रिपाठी, निवासी 557/25-क/5, ओमनगर, आलमबाग, लखनऊ-226005 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथा संशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, हरदीचक, गोरखपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गोरखपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथा संशोधित 2008 की 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा० अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020 नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020 डा० रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

27 दिसम्बर, 2020 ई०

सं० 4693/96-आयुष-1-2021-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डी0आर0/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डी0आर0/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डी0आर0/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डी0आर0/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डी0आर0/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020, एवं 170/01/डी0आर0/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 एवं पत्र संख्या 184(1)/डी0आर0/एस-11/2016-17, दिनांक 23 जुलाई, 2021 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-421 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000144546) (अनुसूचित जनजाति) कुमारी अर्चना, पुत्री श्री विद्या सागर, निवासी म0नं0-43, ग्राम चन्दायर बलीपुर, पो० चैनपुर गुलौरा, तहसील बेलथरा रोड, जिला बलिया, उ0प्र0-221715 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)

सेवा नियमावली, 1990 यथा संशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मझौलीराज, जनपद देवरिया में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, देवरिया के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथा संशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का

उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में पंजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा० अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या 11889/एस०एस०/2020 नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस०एस०/2020 डा० रिनी भारद्वाज बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं० 4879/96-आयुष-1-2021-66/2011 उ०प्र० लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त सस्तुति पत्र संख्या 21/01/डी०आर०/एस-11/2016-17 दिनांक 28 मई 2020 पत्र संख्या 57/01/डी०आर०/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020 पत्र संख्या 91/01/डी०आर०/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020 पत्र संख्या 108/01/डी०आर०/एस-11/2016-17 दिनांक 17 जुलाई 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डी०आर०/एस-11/2016-17 दिनांक 27 अगस्त 2020, एवं 170/01/डी०आर०/एस-11/2016-17 दिनांक 16 सितम्बर 2020 एवं पत्र संख्या 184(1)/डी०आर०/एस-11/2016-17 दिनांक 23 जुलाई 2021 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-329 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000093921) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री ज्योति यादव पुत्री स्व० मुन्ना यादव निवासी ग्राम खानपुर पोस्ट काझाखुर्द मोहम्मदाबाद मोहना जिला मऊ उ०प्र०-276403 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 यथा सशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, तरकुलहा, जनपद देवरिया में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ०प्र० राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे,

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना सख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ०प्र० राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 यथासशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र,

[3] उ०प्र० भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी देवरिया के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रृंखला क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथा संशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या 4102/2020 डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020 नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020 डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

31 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 4938/96–आयुष-1-2021-203/2020टी0सी0–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी (बैकलाग) के अधीनीत पदों के सापेक्ष 08 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त पत्र संख्या 297/04/डी0आर0/एस-11/2009-10टी0सी0 दिनांक 04 मार्च, 2021 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा (क्रमांक/रजिस्ट्रेशन नम्बर 03/53300047536) (अनुसूचित जाति/महिला) डा0 दीपिका प्रियदर्शिनी, पुत्री श्री मनोज कुमार निवासी म0नं0 145, एक मिनार वाली मस्जिद के पास, मो0 एमन जई, जलाल नगर जिला शाहजहांपुर उ0प्र0–242001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, मौदहा, जनपद हमीरपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:

1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3 उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हमीरपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे, यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999" के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

06 जनवरी, 2022 ई0

सं0 43/96–आयुष-1-2022-203/2020टी0सी0—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी (बैकलाग) के अग्रनीत पदों के सापेक्ष 08 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त पत्र संख्या 297/04/डी0आर0/एस-11/2009-10टी0सी0, दिनांक 04 मार्च 2021 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा (क्रमांक/रजिस्ट्रेशन नम्बर 07/53300047784) (अनुसूचित जाति/महिला), डा0 नेहा भारती पुत्री श्री परशुराम, निवासी म0नं0-145, एक मिनार वाली मस्जिद के पास मो0 एमन जई, जलाल नगर, जिला शाहजहांपुर, उ0प्र0—242001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं

प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय सिरौरा नासिर जनपद लखीमपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होगें।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, लखीमपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 44/96-आयुष-1-2022-203/2020टी0सी0–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी (बैकलाग) के अग्रेनीत पदों के सापेक्ष 08 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त पत्र संख्या 297/04/डी0आर0/एस-11/2009-10टी0सी0, दिनांक 04 मार्च, 2021 के माध्यम

से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में स श्री राज्यपाल द्वारा (क्रमांक/रजिस्ट्रेशन नम्बर 11/53300047916) (अनुसूचित जाति/महिला) डा0 वन्दना रजक पुत्री श्री इन्द्रजीत रजक निवासी म0न0-804 खाली बाबा ईसाइ टोला, जिला झांसी उ0प्र0-284003 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय नगर हरदौली, जनपद बांदा में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003 दिनांक 28 मार्च 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी बांदा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-13

औपबंधिक नियुक्ति

03 नवम्बर, 2021 ई0

सं0 1508/सत्ताइस-13-2021-49/21 लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री मार्शल प्रताप सिंह पुत्र श्री विजय राज सिंह का विवरण निम्नवत है–

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री–							
20	मार्शल प्रताप सिंह/विजय राज सिंह	10-01-1996	134994	सतना (मध्य प्रदेश)	मार्शल प्रताप सिंह ग्राम महादेवा, पो0 बिहरा नं0 1 तहसील कोटार सतना, मध्य प्रदेश-485226	मार्शल प्रताप सिंह, ग्राम महादेवा, पो0 बिहरा नं0 1 तहसील कोटार सतना, मध्य प्रदेश-485226	

2–शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन मैण्ड रू0 15,600–39,100 (ग्रेड पे रू0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व सत्यापन या शपथ-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों का असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के सम्बन्धित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जाये। उक्त के साथ ही औपबन्धिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N O C) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्व-घोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्व-घोषणा-पत्र।

स0 1509/सत्ताईस-13-2021-49/21–लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री सागर सिंह मेहता पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह मेहता का विवरण निम्नवत् है–

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	सर्वश्री–						
21	सागर सिंह मेहता/नरेन्द्र सिंह मेहता	06-06-1992	84000	सोनभद्र	मे0 खादी बिल्डिंग मैटेरियल्स, चांदी तिराहा, बाई पास रोड सोनभद्र, उ0प्र0-231216	मे0 खादी बिल्डिंग मैटेरियल्स, चांदी तिराहा, बाई पास रोड सोनभद्र, उ0प्र0-231216	

2–शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रू0 15,600-39,100 (ग्रेड प रू0 5,400) में

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व-सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भाँति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्व-घोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्व-घोषणा-पत्र।

सं० 1510 / सत्ताईस-13-2021-49 / 21–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री शिव कुमार शुक्ला पुत्र स्व0 गणेश दत्त शुक्ला का विवरण निम्नवत है–

क्र0	नाम / पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	सर्वश्री–						
22	शिव कुमार शुक्ला / स्व0 गणेश दत्त शुक्ला	03-07-1993	27262	गोरखपुर	शिव कुमार शुक्ला पुत्र स्व0 गणेश दत्त शुक्ला, म0नं0 250 गांव मझिगांवा, पो0 आ0, कनईल, थाना बेलीपार, गोरखपुर, उ0प्र0-273413	शिव कुमार शुक्ला पुत्र स्व0 गणेश दत्त शुक्ला, म0नं0 250 गांव मझिगांवा, पो0आ0, कनईल, थाना बेलीपार, गोरखपुर, उ0प्र0-273413	आयोग द्वारा सशर्त संस्तुत अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये

2–शासनादेश संख्या 04 / 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व-सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक / विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र।

सं0 1511/सत्ताईस-13-2021-49/21—लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री सौरभ त्रिपाठी पुत्र श्री नागश दत्त त्रिपाठी का विवरण निम्नवत है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	सर्वश्री—						
23	सौरभ त्रिपाठी/ नागश दत्त त्रिपाठी	21-05-1997	33123	रोहतास (सासाराम) बिहार	अक्ष नारायन तिवारी, ग्राम खेरा, पो0 दुमारी सेहतास सासाराम, बिहार-821104	श्री सतीश शर्मा, हाउस न0 27ए, लेन न0 2, केशव नगर, सिविल लाईन्स, जयपुर राजस्थान-302006	

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन

विभाग उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री संजयपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के सबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराया जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र।

सं0 1512/सत्ताईस-13-2021-49/21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अभिषेक कुमार द्विवेदी पुत्र श्री अनुराग द्विवेदी का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	सर्वश्री—						
24	अभिषेक कुमार द्विवेदी/अनुराग द्विवेदी	13-02-1993	65706	भोपाल (मध्य प्रदेश)	अभिषेक कुमार द्विवेदी बी-455, सर्वधर्म कालोनी, कोलार रोड, भोपाल मध्य प्रदेश- 462042	अभिषेक कुमार द्विवेदी बी-455, सर्वधर्म कालोनी, कोलार रोड, भोपाल मध्य प्रदेश- 462042	

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व-सत्यापन या शपथ-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-

पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जाय। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N O C) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रा म सत्यापन-पत्र एव स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एव जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एव डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वय कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एव डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपिया निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II अभ्यर्थी द्वारा स्वय के हस्ताक्षर स अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एव स्वःघोषणा-पत्र।

स0 1513/सत्ताईस-13-2021-49/21–लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री उत्कर्ष गोयल पुत्र श्री प्रमोद कुमार गोयल का विवरण निम्नवत् है–

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमाक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	सर्वश्री–						
25	उत्कर्ष गोयल/ प्रमोद कुमार गोयल	10-08-1996	61444	मेरठ	उत्कर्ष गोयल, 511/1 फूलबाग कालोनी, नगर निगम डिपो के सामने, मेरठ, उ0प्र0- 250002	उत्कर्ष गोयल 511/1 फूलबाग कालोनी, नगर निगम डिपो के सामने, मेरठ, उ0प्र0-250002	

2–शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपयुक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एव जल संसाधन विभाग उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1, अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या शपथ-पत्र में कोई गलत

सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवनियुक्त सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के सम्बन्धित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबन्धिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्व-घोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्व-घोषणा-पत्र।

सं0 1514/सत्ताईस-13-2021-49/21–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री मोहम्मद अजर पुत्र श्री मोहम्मद एजाज का विवरण निम्नवत् है–

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	सवश्री–						
26	मोहम्मद अजर/ मोहम्मद एजाज	18-02-1995	44255	बरेली	मोहम्मद एजाज, 119 कांकर टोला, पुराना शहर, बरेली, उ0प्र0- 243005	मोहम्मद एजाज, 119 कांकर टोला, पुराना शहर, बरेली, उ0प्र0- 243005	

2–शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व-सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भाँति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे--

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्व:घोषणा-पत्र।

सं0 1515/सत्ताइस-13-2021-49/21 लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री नमन मिश्रा पुत्र श्री प्रभात नारायण मिश्रा का विवरण निम्नवत् है--

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	सर्वश्री--						
27	नमन मिश्रा/ प्रभात नारायण मिश्रा	09-09-1995	134175	कानपुर नगर	नमन मिश्रा पुत्र श्री प्रभात नारायण मिश्रा, सी 17, विश्व बैंक, बर्रा, कानपुर नगर, उ0प्र0-208027	नमन मिश्रा पुत्र श्री प्रभात नारायण मिश्रा, सी 17, विश्व बैंक, बर्रा, कानपुर नगर, उ0प्र0-208027	

2--शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं--

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के सम्बन्धित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा त्यागपत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपचारिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N O C) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र।

सं0 1516/सत्ताईस-13-2021-49/21–लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र सिंह परिहार पुत्र श्री पुष्पेन्द्र सिंह परिहार का विवरण निम्नवत् है–

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	सर्वश्री–						
28	नरेन्द्र सिंह परिहार/पुष्पेन्द्र सिंह परिहार	13-08-1996	6656	रीवा (मध्य प्रदेश)	पुष्पेन्द्र सिंह परिहार एफ-02 गोडहर एम0 पी0एस0ई0बी0 कालोनी रीवा मध्य प्रदेश-486001	पुष्पेन्द्र सिंह परिहार, एफ-02 गोडहर एम0 पी0एस0ई0बी0 कालोनी रीवा मध्य प्रदेश-486001	

2–शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपयुक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के सम्बन्धित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जाये। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आगाम द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी का कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं करायेंगे सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

(I) केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

(II) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(III) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

(IV) अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र।

सं0 1517/सत्ताईस-13-2021-49/21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभिगरण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अभिषेक सिंह जादौन पुत्र श्री अशोक सिंह जादौन का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	सर्वश्री—						
29	अभिषेक सिंह जादौन/अशोक सिंह जादौन	17-01-1996	93066	ग्वालियर (मध्य प्रदेश)	अशोक सिंह जादौन, कर्नल साहब की डियोढी, जलाल खान की गोठ, फालका बाजार, ग्वालियर, म0प्र0-474001	अशोक सिंह जादौन, कर्नल साहब की डियोढी, जलाल खान की गोठ, फालका बाजार, ग्वालियर, म0प्र0-474001	

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्व-घोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

(I) केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

(II) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(III) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

(IV) अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्व-घोषणा-पत्र।

सं0 1518/सत्ताईस-13-2021-49/21–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री शिव गोविन्द पुत्र श्री अनिल कुमार का विवरण निम्नवत है–

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	सर्वश्री–						
30	शिव गोविन्द/ अनिल कुमार	10-08-1993	25442	फतेहपुर	अनिल कुमार हाउस नं0 173 औरंगाबाद, फतेहपुर, उ0प्र0-212659	अनिल कुमार हाउस नं0 173 औरंगाबाद, फतेहपुर, उ0प्र0-212659	

2–शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपयुक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व-सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य संचा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध मे नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता का वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व मे अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जाये। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N O C) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण,

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र।

सं0 1519/सत्ताईस-13-2021-49/21–लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री प्रशान्त पटेल पुत्र श्री श्रवन कुमार पटेल का विवरण निम्नवत् है–

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	सर्वश्री–						
31	प्रशान्त पटेल/श्रवन कुमार पटेल	13-11-1996	110597	बांदा	श्रवन कुमार पटेल साखी बांदा, उ0प्र0-210121	श्रवन कुमार पटेल टाइप III 12 कोयल धाम कालोनी, हरदोई, उ0प्र0-241001	

2–शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपयुक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के सम्बन्धित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जाये। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आगाम द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्व घोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी का कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं करायें सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

(I) केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

(II) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(III) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

(IV) अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्व घोषणा-पत्र।

सं० 1520/सत्ताईस-13-2021-49/21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री रितेश कुमार सिंह पुत्र श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह का विवरण निम्नवत है-

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री—							
32	रितेश कुमार सिंह/ शिवेन्द्र प्रताप सिंह	08-01-1996	13720	जौनपुर	शिवेन्द्र प्रताप सिंह बानेवरा, जौनपुर, उ0प्र0-222128	शिवेन्द्र प्रताप सिंह बानेवरा, जौनपुर उ0प्र0-222128	

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपयुक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व-सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के सम्बंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N O C) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ

शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्व-घोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश का अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्व-घोषणा-पत्र।

सं0 1521/सत्ताईस-13-2021-49/21—लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष नगर) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर घोषित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री सुनील कुमार मिश्रा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	सर्वश्री—						
33	सुनील कुमार मिश्रा/राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा	12-10-1977	98663	अम्बेडकर नगर	राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा निकासपुर अम्बेडकर नगर, उ0प्र0-224137	सुनील कुमार मिश्रा टी 6 603 एल्डिको सौभाग्यम, सेक्टर 9, लखनऊ, उ0प्र0-226029	

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपयुक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किया जाना की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व-सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के सम्बंधित अधिकारी यह भली-भाँति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियो की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र।

सं0 1522/सत्ताईस-13-2021-49/21–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री नवीश भारद्वाज पुत्र श्री संजीव भारद्वाज का विवरण निम्नवत है–

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	सर्वश्री–						
34	नवीश भारद्वाज/ संजीव भारद्वाज	17-09-1994	60432	हापुड़ (पंचशील नगर)	संजय भारद्वाज, 32-814 देवलोक कालोनी, नियर बाटरटेक, हापुड़ (पंचशील नगर), उ0प्र0-245101	संजय भारद्वाज, 32-814 देवलोक कालोनी, नियर बाटरटेक, हापुड़ (पंचशील नगर), उ0प्र0-245101	

2–शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवनियुक्त सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के सबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N O C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी का कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं करना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र।

सं0 1523/सत्ताईस-13-2021-49/21--लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभिगंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री विजय कुमार पुत्र श्री रविन्द्र कुमार का विवरण निम्नवत है--

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	सर्वश्री--						
35	विजय कुमार/ रविन्द्र कुमार	21-09-1992	101144	गया (बिहार)	रविन्द्र कुमार सीबी एस कालोनी, पितामहेश्वर रमना रोड गया, बिहार-823001	रविन्द्र कुमार सीबी एस कालोनी, पितामहेश्वर रमना रोड गया, बिहार-823001	

2--शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं--

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व सत्यापन या शपथ-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक

रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी का कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण,

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र।

आज्ञा से,
फूल चन्द,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०—52 हिन्दी गजट—भाग 1—2022 ई०।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 26 मार्च, 2022 ई० (चैत्र 5, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां आज्ञायें विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तिया

07 दिसम्बर, 2021 ई०

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की अधिसूचना

स0 1343/(भू0अ0)/न0म0पा0–प्रथम/लखनऊ–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1, के अधीन कलेक्टर लखनऊ की राय है कि उ0प्र0 एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा लखनऊ के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन के लिये पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हेतु जनपद लखनऊ तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ में ग्राम रसूलपुर आशिकअली की 0.1608 हे0 हसनापुर की 0.2354 हे0 आदमपुर नौबस्ता की 0.1563 हे0 महुराकला की 0.0580 हे0 व पलासा की 0.044 हे0 व कुल 6445 हे0 अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।

2. परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन से पूर्व राज्य सामाजिक समघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 14 मई, 2019 को अनुमोदित किया गया था।

3–सामाजिक समघात निर्धारण का सारांश इस प्रकार था–

समिति यह अनुभव करती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे प्रोजक्ट लोक उद्देश्यों की सेवा करेगा तथा इसका निर्माण न केवल क्षेत्रीय एकीकरण का कार्य करेगा बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि के लिये सहायक होगा।

भूमि प्रदान करने वाले काश्तकारों से हुये विचार-विमर्श से यह प्रतीत होता है कि वे अपनी भूमि परियोजना को देने के लिये सहमत है यदि भूमि का उचित मुआवजा उन्हें प्रदान किया जाये। ग्रामीण इस बात से भी सहमत है कि पूर्वांचल एक्सप्रस-व उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में लाभदायी होगा।

ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि सर्किल रेट के आधार पर प्रस्तावित मुआवजे बाजार दर से काफी कम है। इस लिये समिति दृढ़ता से अपने निष्कर्ष के आधार पर सिफारिश करती है कि मुआवजे की दर को विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में बढ़ाया जाना चाहिये कि प्रभावित क्षेत्र के सर्किल रेट दिसम्बर, 2015 से बढ़ाये नहीं गये हैं और प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2018 में किया जा रहा है।

समिति द्वारा यह भी अनुभव किया गया है कि ग्रामीणों पर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव से बचने के लिये मुआवजे की दर एक ही क्षेत्र में समान होनी चाहिये और यह भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 26 (बी) में वर्णित भूमि के मूल्य के निर्धारण या अवधारण करने के मापदण्ड के अनुरूप भी होगा,

4—समिति की उक्त संस्तुति के सम्बन्ध में यूपीडा के पत्र संख्या 2907/यूपीडा 18/548-(01)-18 (भू-अर्जन) दिनांक 14 सितम्बर 2018 में यह उल्लेख किया गया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना के उपरोक्तानुसार प्रभावित क्षेत्रों के सर्किल रेट पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही कर एवं निबंधन विभाग/जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा नियत प्रक्रिया के अनुसार करने पर विचार किया जायेगा।

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 26 में कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण उल्लिखित किया गया है जिसके बिन्दु (ख) में उल्लेख है कि निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिये औसत विक्रय कीमत कलेक्टर द्वारा प्रतिकर का निर्धारण किया जायेगा।

उक्त के क्रम में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन की कार्यवाही के उपरान्त वर्तमान में इसी परियोजना हेतु अनुसूची में वर्णित निम्नवत् अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।

5—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

6—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं—

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
लखनऊ	मोहनलालगंज	गोसाईगंज	रसूलपुर आशिकअली	460	0.0572
				461	0.0582
				467	0.0264
				788	0.0110
				योग.	0.1508
			हसनापुर	85	0.2354
				योग.	0.2354

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
लखनऊ	मोहनलालगंज	गोसाईगंज	आदमपुर नौबस्ता	517	0.0550
				518	0.0299
				523	0.0714
				योग. .	0.1563
			महुराकलाँ	1784	0.0580
				योग. .	0.0580
			पहासा	215	0.0440
				योग. .	0.0440
				कुल योग. .	0.6445

7—अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिये समतलीकरण खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

8—अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

9—अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलक्टर, लखनऊ 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

धर्मेन्द्र सिंह,
कलेक्टर,
भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ।

16 मार्च, 2022 ई0

सं0 1771/आठ-वि0मू0अ0अ0/अमरोहा—उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा निर्माण खण्ड-15 मुरादाबाद के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) मुख्य नहर

के निर्माण हेतु जनपद अमरोहा, तहसील धनौरा, परगना धनौरा, ग्राम फुन्देड़ी में कुल रकबा 3.0420 हे0 में भूमि के सम्बन्ध में भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1193 दिनांक 18 सितम्बर 2021 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 04 दिसम्बर 2021 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर धनौरा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची 'क' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची 'ख' में उल्लिखित जनपद अमरोहा, तहसील धनौरा, परगना धनौरा, ग्राम फुन्देड़ी की शून्य हेक्टेयर भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु अमरोहा कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची "क"

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	धनौरा	धनौरा	फुन्देड़ी	2-मि0	0.2155
				3	0.7817
				44	1.0000
				45	0.3360
				106	0.7088
				योग. .	3.0420

अनुसूची "ख"

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर

विस्थापित परिवारों की संख्या "शून्य"

टिप्पणी- उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा अमरोहा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0 अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, अमरोहा।

NOTIFICATION

March 16, 2022

No. 1771/VIII-S.L.A.O./Amroha/2022–Whereas Preliminary Notification No. 1193, Dated 18-09-2021 was issued under Sub-section (1) of Section 11 of the rule Right to Fair Compensation and

Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 in respect of 3.0420 hectares of land in Village-Funderi, Pargana-Dhanaura, Tehsil-Dhanaur, District-Amroha is required for public purpose, namely, Project MGC Stage-II through Madhya Ganga Canal Construction Division-15, Moradabad (Name of requiring body) published on dated December 04, 2021. The Deputy Collector/Assistant Collector Dhanaura was appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under Sub-section (2) of the Section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under Section 19 ( ) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 Hectares in Village-Funderi, Pargana-Dhanaura, District-Amroha, as given in Schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement Area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under Sub-section (2) of Section 19 of the Act, to direct the Collector of Amroha to publish a summary of the Rehabilition and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith.

SCHEDULE "A"

(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Dhanaura	Dhanaura	Funderi	2 Mi	0.2155
				3	0.7817
				44	1.0000
				45	0.3360
				106	0.7088
				Total..	3.0420

SCHEDULE "B"

(Land identified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hectare
			Nil		

NOTE–A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector Amroha.

16 मार्च, 2022 ई0

सं0 1773/आठ-वि0भू0अ0अ0/अमरोहा--उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा निर्माण खण्ड-15, मुरादाबाद के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) मुख्य नहर

के निर्माण हेतु जनपद अमरोहा, तहसील धनौरा, परगना धनौरा, ग्राम देहराचक में कुल रकबा 1.2646 हे0 में भूमि के सम्बन्ध में भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1194 दिनांक 18 सितम्बर 2021 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 04 दिसम्बर 2021 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर धनौरा का परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जनपद अमरोहा तहसील धनौरा परगना धनौरा ग्राम देहराचक की शून्य हेक्टेयर भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है,

राज्यपाल अग्रेतर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु अमरोहा कलक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची "क"

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	धनौरा	धनौरा	देहराचक	373	0.5631
				374	0.2944
				385	0.3671
				योग. .	1.2646

अनुसूची "ख"

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर

विस्थापित परिवारों की संख्या "शून्य"

टिप्पणी- उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा अमरोहा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0 अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, अमरोहा

NOTIFICATION

March 16, 2022

No. 1773/VIII-S.L.A.O./ Amroha/2022–Whereas Preliminary Notification No. 1194 Dated 18-09-2021 was issued under Sub-section (1) of Section 11 of the rule Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 in respect of 1.2646 hectares of land in Village

Dehrachak, Pargana-Dhanaura, Tehsil-Dhanaura, District-Amroha is required for public purpose, namely, Project MGC Stage II through Madhya Ganga Canal Construction Division-15, Moradabad (Name of requiring body) published on dated December 04, 2021. The Deputy Collector/Assistant Collector Dhanaura was appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the porject affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under Sub-section (2) of the Section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under Section 19 (1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 Hectares in Village-Dehrachak, Pargana-Dhanaura, District-Amroha, as given in Schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement Area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under Sub-section (2) of Section 19 of the Act, to direct the Collector of Amroha to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith.

SCHEDULE "A"

(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Dhanaura	Dhanaura	Dehrachak	373	0.5831
				374	0.2944
				385	0.3871
				Total	1.2646

SCHEDULE "B"

(Land identified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hectare
			Nil		

NOTE–A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd*.) ILLEGIBLE.
Collector, Amroha

पी०एस०यू०पी०–52 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2022 ई०।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-एल०डब्लू०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 26 मार्च, 2022 ई० (चैत्र 5, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पंचायत, कुलपहाड़, जनपद महोबा

22 मार्च, 2022 ई०

सं0 311/एन0पी0कं0/गजट/2021-22—शासनादेश संख्या 406/नौ-9/1997-95/जनरल/98, दिनांक 10 फरवरी 1997 के प्रस्तर-6 में पारित आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (2) संशोधन 1994 की धारा 298 सूची-1 खण्ड (ख)(झ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, कुलपहाड़ द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 255, 269, 270, 271, 273, 274, 276, 277 के प्राविधानों के अन्तर्गत खुले में शौच से मुक्ति एवं ठोस अपशिष्ट निपटान नियंत्रण एवं विनियम नियमावली, 2019 की उपविधि बनायी गयी है। जिसे दैनिक 'आज' समाचार-पत्र के दिनांक 29 नवम्बर, 2019 के अंक में प्रकाशित कराया जा चुका है, निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण उक्त उपविधि को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जा रहा है। यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

स्वच्छ भारत मिशन विनियमन तथा नियन्त्रण नियमावली, 2019

उपविधि

1—संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ—(क) यह उपविधि नगर पंचायत, कुलपहाड़ के सीमान्तर्गत खुले में शौच से मुक्त एवं ठोस अपशिष्ट निपटान नियन्त्रण एवं विनियमन नियमावली, 2019 कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पंचायत, कुलपहाड़ द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के तिथि से लागू होगी

2—परिभाषायें, जब तक कोई प्रसंग प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 संख्या 2 से है।

(ख) "नगरपालिका" का तात्पर्य नगरपंचायत, कुलपहाड़ से है।

(ग) "अध्यक्ष/प्रशासक" का तात्पर्य नगर पंचायत, कुलपहाड़ के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(घ) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत, कुलपहाड़ के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा स्थापित की गयी व्यवस्था से है।

(ण) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत, कुलपहाड़ के अधिशासी अधिकारी से है।

(त) "अर्थदण्ड/जुर्माना" का तात्पर्य इस उपविधि के अन्तर्गत आरोपित अर्थदण्ड/जुर्माना से है।

(छ) शहर को खुले में शौच से मुक्त बनाये रखने, नगर के नाली-नाला, तालाब, कुएं एवं अन्य जलस्रोतों, सड़क व सड़क पटरी या सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट डालने एवं मच्छर जनित परिस्थितियां उत्पन्न करने पर प्रतिबन्ध का तात्पर्य नगर पंचायत, कुलपहाड़ की सीमा के अन्दर निवासरत समस्त नागरिकों के प्रतिदिन के क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों के अनुचित निस्तारण से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण एवं मच्छर जनित परिस्थितियों के उपरान्त की जाने वाली दण्डात्मक कार्यवाही से है।

नगर पंचायत, कुलपहाड़ द्वारा खुले में शौच करने व सार्वजनिक सड़क, नाला-नाली, तालाब, कुएं एवं अन्य जलस्रोतों व सड़क एवं पटरी, सार्वजनिक भूमि पर कूड़ा डालने एवं मच्छर जनित परिस्थितियां उत्पन्न करने के विरुद्ध अर्थदण्ड/जुर्माना वसूल करेगी।

3—उपरोक्त जुर्माना/अर्थदण्ड की वसूली अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी करेंगे। दरें निम्नवत् होंगी—

क्र० सं०	जुर्माना/अर्थदण्ड	जुर्माने की दर प्रतिदिन (रुपये में)
1	2	3
1	खुले में शौच करते पाये जाने पर	रु० 20.00 से रु० 1,000.00 तक
2	सड़क, नाला, नाली एवं सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा डालते पाये जाने पर	रु० 250.00 एवं अधिकतम रु० 5,000.00 तक
3	तालाब, कुएं एव अन्य जलस्रोतों में कूड़ा, अपशिष्ट डालते पाये जाने पर	रु० 500.00 एवं अधिकतम रु० 20,000.00 तक
4	मच्छर जनित परिस्थितियां उत्पन्न करने पर	रु० 250.00 से रु० 5,000.00 तक
5	नगर पंचायत/सार्वजनिक मार्गों, पटरियों/सार्वजनिक भूमि पर मवेशी बांधने अथवा आवारा विचरण हेतु छोड़ने पर	रु० 250.00 से अधिकतम रु० 5,000.00 तक जुर्माना एवं खुराकी अतिरिक्त
6	निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट सामग्री सड़क एवं सार्वजनिक स्थान पर डालने पर।	जुर्माना रु० 250.00 से रु० 5,000.00 तक एवं हटाने का व्यय अलग
7	मल की निकासी सेप्टिक टैंक या सीवर लाइन में न करके सीधे नाले में गिराने पर	रु० 500.00 से रु० 10,000.00 तक

उपरोक्त अर्थदण्ड/जुर्माने का अधिकार अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत नगर पंचायत के अन्य अधिकारी/कर्मचारी को होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 की उपधारा (10) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत, कुलपहाड़, निर्देश देती है कि इस उपविधि का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दण्ड का भागी उपरोक्तानुसार होगा उल्लंघन जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि दोषी, उपविधि का उल्लंघन करता रहता है तो उक्त निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम के मध्य की कोई भी धनराशि प्रतिदिन अर्थदण्ड करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगरपंचायत, कुलपहाड़ को होगा।

वन्दना सिंह,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, कुलपहाड़
जनपद महोबा।

कार्यालय, उ0प्र0 शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ

अधिसूचना

उ0प्र0 शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ में सेण्ट्रल वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 65(5), के अन्तर्गत बोर्ड की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2022 के अन्तर्गत निम्नलिखित अवकाफ को सीधे नियन्त्रण में लेते हुये एक वर्ष की अवधि के लिये प्रशासक पद पर इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया है कि प्रशासक वक्फ अधिनियम, 1995 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्य करेंगे–

क्र0 सं0	वक्फ का नाम	पंजीयन संख्या	स्थित/जनपद	प्रशासक का नाम और पता
1	2	3	4	5
1	वक्फ कर्बला अब्बास बाग	T-2596	हरदोई रोड, लखनऊ	मौलाना सै0 कल्बे जवाद नकवी पुत्र स्व0 मौलाना सै0 कल्बे आबिद नकवी, निवासी-37, जौहरी मोहल्ला, चौक, लखनऊ
2	वक्फ दरगाह हजरत अब्बास (अ0स0)	T-2063	रूस्तम नगर, लखनऊ	श्री मीसम रिजवी पुत्र श्री इब्ने हसन रिजवी, निवासी 390/135 रूस्तम नगर, लखनऊ
3	वक्फ अच्छे मिर्जा	T-987	औरंगाबाद जागीर, लखनऊ	1–श्री हाशिम अब्बास पुत्र स्व0 जफर अब्बास, निवासी–बड़ा इमामबाड़ा, हाता हुसैनाबाद, लखनऊ 2–श्री सै0 मेहर मेंहदी रिजवी पुत्र श्री सै0 अफजल मेंहदी रिजवी, निवासी ए0डी0एस0सी0 29, हाता मिर्जा अली खाँ, हुसैनाबाद, लखनऊ।

उ0प्र0 शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ में सेण्ट्रल वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 65(5), के अन्तर्गत बोर्ड की बैठक दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 के अन्तर्गत वक्फ दरगाहे आलिया नजफ-ए-हिन्द, जोगीपुरा, पंजीयन संख्या T-1158, 1187, जनपद बिजनौर को सीधे नियन्त्रण में लेते हुये 06 माह की अवधि के लिये प्रशासक पद पर इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया है कि प्रशासक वक्फ अधिनियम, 1995 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्य करेंगे।

क्र0 सं0	वक्फ का नाम	पंजीयन संख्या	स्थित/जनपद	प्रशासक का नाम और पता
1	2	3	4	5
1	वक्फ दरगाहे आलिया नजफ-ए-हिन्द, जोगीपुरा	T-1158 T-1187	बिजनौर	श्री सै0 हबीब हैदर पुत्र स्व0 सै0 फिरोज हैदर, निवासी-102, शालीमार ऐमिरेन्ड, जौपलिंग रोड, लखनऊ

अली जैदी,
अध्यक्ष,
उ0प्र0 शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड,
लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स लोटस कंस्ट्रक्शन 122/2 सिविल लाइन, झांसी, जिला झांसी–284001, उ0प्र0 वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है–

1–अजय पुरवार, 2–मोहम्मद वसीक, 3–मोहम्मद फारूक, जिसमें दिनांक 01 फरवरी, 2020 को मोहम्मद वसीक एवं मोहम्मद फारूक अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं उनके स्थान पर पुरूषोत्तम पुरवार शामिल हो रहे हैं।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

अजय पुरवार,
साझेदार,
मेसर्स लोटस कंस्ट्रक्शन, 122/2,
सिविल लाइन, झांसी-284001, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री सिद्ध बाबा ग्रेनाइट, मोचीपुरा, कबरई, जिला महोबा (उ0प्र0) वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है–

1–महेश तिवारी, 2–बलवीर यादव, 3–अभय प्रताप। जिसमें दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 को महेश तिवारी एवं अभय प्रताप अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं। उनके स्थान पर कंधी लाल यादव, पियूष कुमार गुप्ता, मयंक गुप्ता, संजय सिंह तोमर शामिल हो रहे हैं।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचाकिताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

बलवीर यादव,
साझेदार,
मेसर्स श्री सिद्ध बाबा ग्रेनाइट,
मोचीपुरा कबरई, जिला-महोबा, (उ0प्र0)।

NOTICE

Be it known to all that in may High School and Intermediate marksheet and certificate my name is mentioned as Soumya Misra daughter of Manoj Kumar Misra, which is incorrect. In my graduation Mark Sheet and Degree my name is mentioned as Soumya Mishra daughter of Manoj Kumar Mishra, which is correct. In my Pan Card, Adhar Card and other documents my name is mentioned as Soumya Mishra daughter of Manoj Kumar Mishra, which is correct. In future I should be known as Soumya Mishra daughter of Manoj Kumar Mishra.

Soumya Mishra,
18/1 Baba Ji Ka Bagh,
Colonelganj, Prayagraj.

सूचना

मैंने अपना नाम अनुज शुक्ला से बदलकर अभिनव शुक्ला कर लिया है अब मुझे भविष्य में अभिनव शुक्ला पुत्र अनूप शुक्ला, निवासी 272ए नौबस्ता, कानपुर नगर के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाये।

अभिनव शुक्ला,
निवासी-272ए नौबस्ता,
कानपुर।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 श्री नाथ जी किसान सेवा केन्द्र गंगीरी रोड, पिलखाना चौराहा, जिला अलीगढ़, जो पूर्व में दिनांक 17 मार्च, 2017 से हम तरुण कुमार माहेश्वरी तथा श्री नितिन माहेश्वरी के द्वारा भागीदारी के अन्तर्गत संचालित थी, किन्तु हम भागीदारों द्वारा उक्त फर्म को दिनांक 22 फरवरी, 2022 से स्वेच्छा से विघटित कर दिया गया है। अब उक्त फर्म का संचालन दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से द्वितीय पक्ष श्री नितिन महेश्वरी द्वारा अकेले ही प्रोपराइटरशिप के अन्तर्गत किया जाना तय किया गया है।

नितिन माहेश्वरी,
भागीदार,
मे0 श्री नाथ जी किसान सेवा केन्द्र,
गंगीरी रोड, पिलखाना चौराहा,
जिला-अलीगढ़।

सूचना

फर्म मे० श्री श्याम ज्वलपर्स 2/703 बेगम बाग अलीगढ़ यत्रावली संख्या एएलआई/0009974 में दिनांक 21 फरवरी, 2022 को श्री सतीश कुमार पुत्र श्री सूरज सिंह, निवासी गांव सहारनपुर, अलीगढ़ द्वारा फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा पृथक् हुये तद्दिनांक को कश्मीरा पत्नी श्री राकेश कुमार सिंह, निवासी एच0आई0जी0 19ए/1 विकास नगर ए0डी0ए0 आगरा रोड, अलीगढ़ फर्म की साझेदारी में सम्मिलित हुई. वर्तमान फर्म में साझीदार श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा, श्री अमित कुमार शर्मा, श्री हेमेन्द्र कुमार शर्मा, श्री रवि कुमार, श्री राकेश कुमार सिंह, कश्मीरा है।

सतेन्द्र कुमार शर्मा,
साझेदार,
मे० श्री श्याम ज्वलपर्स,
2/703 बेगम बाग, अलीगढ़।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे० श्री हनुमान राईस मिल्स, अपोजिट नवीन मण्डी, आगरा रोड, मैनपुरी के भागीदारों/विधान में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

उक्त फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2009 को श्री राधेश्याम पुत्र श्री गजानन्द, निवासी स्टेशन रोड, मैनपुरी तथा श्री रामकिशन पुत्र श्री तुलसीराम, निवासी स्टेशन रोड, मैनपुरी नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हुये तथा फर्म के पूर्व प्रथम पक्ष श्री गजानन्द पुत्र स्व० कन्हैया लाल, निवासी स्टेशन रोड, मैनपुरी द्वितीय भागीदार श्री तुलसीराम पुत्र स्व० कन्हैया लाल, निवासी स्टेशन रोड, मैनपुरी तथा पूर्व पंचम पक्ष भागीदार श्रीमती ममता रानी पत्नी श्री अनूप कुमार बंसल, निवासी नरायन नगर, मैनपुरी उक्त दिनांक को फर्म से अलग हो गये। दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को पूर्व तृतीय पक्ष श्री राम किशन पुत्र श्री तुलसीराम निवासी स्टेशन रोड, मैनपुरी फर्म से पृथक् हो गये हैं तथा पूर्व भागीदार श्रीमती कुसुमलता पत्नी श्री सुरेश चन्द्र बंसल, निवासी नरायन नगर, मैनपुरी अपनी स्वेच्छा से दिनांक 01 अप्रैल, 2017 को पृथक् हो गयी हैं, उनके स्थान पर उक्त दिनांक से श्री गौरव बंसल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र बंसल, निवासी नरायन नगर, मैनपुरी उक्त फर्म में सम्मिलित हो गये हैं। अब फर्म में श्री राम प्रकाश, श्री राधेश्याम, श्री संजय अग्रवाल तथा श्री गौरव बंसल भागीदार हो गये हैं।

राम प्रकाश,
भागीदार,
मे० श्री हनुमान राईस मिल्स,
अपोजिट नवीन मण्डी, आगरा रोड,
मैनपुरी।

सूचना

मेरी फर्म मेसर्स वैष्णों गैस एजेन्सी एस० 5/51 ग्राउण्ड फ्लोर अर्दली बाजार, वाराणसी में 5 साझेदार हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन क्र० 5432/7-बी-16479, दिनांक 18 जनवरी, 2018 को हुआ, जिसमें केदार नाथ गुप्ता की मृत्यु दिनांक 18 मई, 2018 को हो गया है। उसके स्थान पर किसी भी साझेदार को शामिल नहीं किया गया है। फर्म यथावत चलता रहेगा। अब फर्म में कुल 4 साझेदार सविता देवी, दिलीप कुमार, वंदना केशरी व अवधेश केशरी है।

दिलीप कुमार,
पार्टनर,
मेसर्स वैष्णों गैस एजेन्सी,
एस 5/51, ग्राउण्ड फ्लोर, शाप नं० 3-4,
आई0बी0 काम्पलेक्स, महावीर रोड,
अर्दली बाजार, जिला वाराणसी, उ0प्र0।

पी0एस0यू0पी0–52 हिन्दी गजट–भाग 8–2022 ई०।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।